न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 37/2023 निर्णय दिनांक 27.04.2026
ऑनलाईन नम्बर 2023/70

परमादेवी पत्नी कोजाराम जाति सांसी निवासी सूरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—वादिनी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय, श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

—प्रतिवादी—

—उपस्थितिः—

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 भू—राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी की ओर ओर से दावा निम्न प्रकार से सादर प्रस्तुत है कि वादिनी ग्राम सूरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर की स्थायी निवासिनी है व वादिनी की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 447 तादादी 7.78 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 436 तादादी 6.0100 हैक्टेयर वाकेरोही उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। खसरा नम्बर 447 में वादिनी 5/9 हिस्से की खातेदार काबिज काश्तकार है तथा खसरा नम्बर 436 में वादिनी 2/9 हिस्से की खातेदार काबिज काश्तकार है। वादिनी के पति का सही व वास्तविक नाम कोजाराम है। वादिनी के पति को अपने घर परिवार, समाज, रिश्तेदारी में बोलते नाम हरीराम के नाम से पुकारते थे। वादिनी ने जब खेत खसरा नम्वर 436 तादादी 6.0100 हैक्टेयर वाकेरोही उदरासर की भूमि में से खातेदार पन्ना पुत्र मोती सांसी से उसकी 1/3 हिस्सा भूमि में से 2/9 हिस्सा की भूमि को तथा खसरा नम्बर 447 में से 2/9 हिस्सा की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.07.2008 को खरीद किया तो उस समय वादिनी के पति का बोलता नाम हरीराम लिख दिया गया इसी प्रकार खसरा नम्बर 447 तादादी 7.7800 हैक्टेयर वाकेरोही उदरासर की भूमि में से खातेदार फूसीदेवी पत्नी नथाराम के 1/3 हिस्से की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.04.2013 को खरीद किया तो उस समय भी वादिनी के पति का बोलता नाम हरीराम विक्रय पत्रों में लिख दिया गया। वादिनी ने उक्त तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया व उक्त विक्रय पत्र के इन्तकाल दर्ज होते समय वादिनी के पति का नाम हरीराम अंकित हो गया। वादिनी के पति का हरीराम के नाम से भी जाना जाता है व कोजाराम के नाम से भी जाना व पुकारा जाता है उत दोनों नाम एक ही व्यक्ति के नाम है। चूंकि वादिनी के तमाम सरकारी दस्तावेजों यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, भारतीय निवार्चन आयोग का पहचान पत्र आदि में वादिनी के पति का नाम कोजाराम अंकित चला आ रहा है तथा वादिनी के पति कोजाराम के आधार कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र में भी कोजाराम पुत्र सूरजाराम अंकित चला आ रहा है। वादिनी के पति कोजाराम पुत्र सूरजाराम की मृत्यु दिनांक 26.07.2016 को हो चुकी है। वादिनी के पति को अपने समाज परिवार रिश्तेदारी आदि में सब जगह कोजाराम पुत्र सूरजाराम के नाम से ही जाना व पुकारा जाता है । हरीराम तो उसका घर में बोलता नाम रहा है। वादिनी निरक्षर व

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

सद्भाविक कृषक है। वादिनी के पति का सही व वास्तविक नाम सरकारी दस्तावेजों में कोजाराम पुत्र सूरजाराम अंकित चला आ रहा है व राजस्व रिकार्ड में वादिनी के पति का नाम हरीराम अंकित चला आ रहा है जिसके कारण वादिनी को के.सी.सी. बनाने व खेत में ट्यूब वैल आदि बनाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए वादिनी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वो खेत खसरा नम्बर 436 तादादी 6.0100 हैक्टेयर वाकेरोही उदरासर में अपने 2/9 हिस्सा की भूमि के सम्बन्ध में व खसरा नम्बर 447 तादादी 7.7800 हैक्टेयर वाकेरोही उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में अपने 5/9 हिस्सा की भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड में परमा पत्नी हरीराम की जगह परमादेवी पत्नी कोजाराम नाम की घोषणा करवानी आवश्यक हो गई है इसलिए यह घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादिनी का स्वअर्जित खेत जो सन् 2008 व 2013 में खरीद किया हुआ है और उस दिन से आज तक वादिनी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में विक्रय पत्रों में हुई लिपिकीय भूल से परमा पत्नी हरीराम का अंकन चला आ रहा है, ऐसे अंकन के आधार पर वादिनी के अधिकार खत्म नहीं हुए वरन् आज भी कायम है इसलिए वादिनी को राजस्व रिकार्ड में अपना व अपने पति का सही नाम परमादेवी पत्नी कोजाराम अंकित करवा कर दुरूस्ती करवाने की भी अधिकारिणी है जिसके लिए यह वाद दुरूस्ती का प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत खेत में वादिनी के पति का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चला आ रहा है जिसके लिए वादिनी ने प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड में चल रहे गलत नाम परमा पत्नी हरीराम की जगह परमादरेवी पत्नी कोजाराम शुद्धिकरण करने का निवेदन दिनांक 06.02.2023 को किया तो प्रतिवादी ने कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका व आपके पति का नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना संभव नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी ने उक्त शुद्धि करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। इन्कारी की दिनांक से वादिनी को वाद हेतु हासिल है व वादाधिकार वादिनी की स्वयं की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से प्राप्त है। दावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है और जिसमें स्टेट को 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है परन्तु इस वाद की घोषणा से प्रतिवादी के अधिकारों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। चूंकि दावा स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व के विरूद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है। स्टेट के विरूद्ध दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. के तहत नोटिस देना अनिवार्य होता है परन्तु वादगत खेत में वादी का नाम गलत अंकित होने से वादी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसलिए तुरन्त दावा पेश कर शुद्धिकरण करवाया जाना आवश्यक हो गया है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु अलग से धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से छूट प्राप्त कर ली गई है। वादगत खेत रोही मौजा उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है इसलिए दावा सुनने का श्रीमान्जी को क्षेत्राधिकार हासिल है। दावा हर प्रकार से समयावधि के भीतर पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि वादिनी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे–

(क) कि वादगत खेत खसरा नम्बर 436 तादादी 6.0100 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 447 तादादी 7.7800 हैक्टेयर वाकेरोही उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादिनी का जो गलत नाम

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

परमा पत्नी हरीराम अंकित कर रखा है उसकी जगह वास्तविक व सही नाम परमादेवी पत्नी कोजाराम घोषित किया जावे।

(ख) कि प्रतिवादी को यह आदेशित किया जावे कि वो खेत खसरा नम्बर 436 तादादी 6.0100 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 447 तादादी 7.7800 हैक्टेयर वाकेरोही उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादिनी व वादिनी के पति का नाम राजस्व रिकार्ड में परमा पत्नी हरीराम अंकित कर रखा है उसके स्थान पर उसका सही नाम परमादेवी पत्नी कोजाराम कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे व उसकी पालना प्रतिवादी से करवाई जावे ।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादिनी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादिनी हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी ।

वादिनी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीहात कायम नहीं की गई। वादिनी की ओर से साक्ष्यवादी PW-1 में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। वादिनी के बयान लेखबद्ध किये गये व वादिनी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। जिरह पैरोकारराज शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादिनी वाद स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व वादिनी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 436 तादादी 6.0100 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 447 तादादी 7.7800 हैक्टेयर वाकेरोही उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम ''परमा पत्नि हरिराम'' के स्थान पर ''परमा देवी पत्नी कोजा राम'' घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

परमादेवी पत्नी कोजाराम जाति सांसी निवासी सूरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय, श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)
मुकदमा नम्बर 37/2023
दावा बाबत खाताः घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांक 27.04.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजाराम नैण अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 436 तादादी 6.0100 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 447 तादादी 7.7800 हैक्टेयर वाकेरोही उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम ''परमा पत्नि हरिराम'' के स्थान पर ''परमा देवी पत्नी कोजा राम'' घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 27 माह 04 सन् 2026 को जारी किया गया ।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)